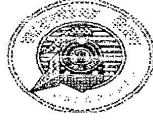


3 pages



273

पूर्वोत्तर रेलवे

1/35/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0स0-2-03

क्रमांक- 35/2017

आरबीई सं0- 11/2017

सं0 ई/227/2/भाग-15/चार

दिनांक 10-03-2017

सांचेव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इण्डिया का स्टेटस।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/वीएफआई स्टेटस
दिनांक 08.02.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

L एवं हिन्दी

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधे/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त :-

- 1- महामंत्री/एन.इ.एल.व. मजदूर गानेशन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पुतरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेलवे एशोसिएशन/पुतरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एराटी एवं ओबीसी एशोसिएशन/गोरखपुर-02 प्रतियों में।
- 5- मुकाशोधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रती में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Letter

273

21/3/17

3/2017

2
35/2017

RBE No.11/ 2017
Clarification/Corrigendum No.78

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

COB/Railways

No. 2017/E(Sports)/4(1)/1/VFI Status

New Delhi, dated 02.01.2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

ER

2 Spl. circulate.
APD/HR
SPD/RR

08.03.17

28/12/17

01/03/17

28/01/17

CDR - SSO

विषय: Status of Volleyball Federation of India.

सन्दर्भ: Board's letter no. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

At present there are two factions of Volleyball Federation of India, none of which is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports. Due to this dispute Ministry of Railway (Railway Board) is not dealing with any faction of Volleyball Federation of India.

37

In view of above, it has been decided that the sports achievements in the event conducted by Volleyball Federation of India or its affiliated units after 02.01.2017, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters, till further order. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of Volleyball, will be permissible for said purpose.

Bhaskar Roy Choudhury

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

No. 2017/E(Sports)/4(1)/1/VFI Status

New Delhi, dated 02.01.2017

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.

For Secretary/Railway Board

Copy to:

1. The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.
3. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches in Board's office.

489
2017/11/3/17

Submy

3
35/2017

आरबीई सं. 11/2017
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 78

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक. 08.02.2017

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/वीएफआई स्टेटस

महाप्रबंधक (पी)

सभी क्षेत्रीय रेलों सहित
चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., आरसीएफ, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/ कोलकाता
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थिति।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)1 (पॉलिसी)
(आरबीई सं. 189बी/2010) तथा इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

इस समय वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के दो गुट हैं, जिनमें से किसी भी गुट को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस विवाद के कारण रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के किसी भी गुट के साथ डील नहीं कर रहा है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि 02.01.2017 के पश्चात् वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्राप्त की गई खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन तथा स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों के लिए अगले आदेश होने तक विचार नहीं किया जाएगा। बहरेहाल, वॉलीबाल के खेल में मान्यताप्राप्त खेलकूद उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए अनुमेल्य होंगे।

(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक/स्था.(खेलकूद)

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/वीएफआई स्टेटस

नई दिल्ली, दिनांक. 08.02.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन *Nm*
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड